मिश्रीलाल बनाम अमरसिंह वगैरा
दावा

नम्बर व तारीख अहकाम ... हुक्म ... में ज...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4-5-16 वकील उभयपक्ष उप० हैं। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 8-6-16 को पेश हो।	28.06.12 31-5-16
	8-6-16 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान S.D.O. साहब दौरे पर हैं। पत्रावली दि० 10-6-16 को लोक अदालत कैम्प टोकसी मे पेश हो।	
	10-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। वादी सं० 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी सं० 1, 2 उपस्थित है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित भूमि ख०नं० 1783 रकबा 0.69 हे० ग्राम टोकसी का सीमाज्ञान तहसीलदार गंगापुरसिटी के नेतृत्व में पटवारी हल्का व गिरदावर की टीम करके सीमा चिन्हों से पक्षकारों को अवगत करायेगी। दोनों पक्ष उक्त सीमाज्ञान से पाबंद रहेंगे तथा भूमि पर कब्जा यदि एक दूसरे पक्ष का रहेगा तो कब्जे वाला पक्षकार भूमि से अपना अवैध कब्जा छोडेगा। कब्जा नही छोडने पर नया वाद पेश करने की छूट दी जावे। इसी आधार पर वादीगण अपना दावा वापस ले रहे हैं। प्रतिवादीगण को इसमें कोई आपत्ती नही है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद निर्णित किया जाता है व वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं ...	विक्रम सिंह मीणा मिश्रीलाल प्र. 2 ... धर्मसिंह

कायमी तनकी

नम्बर
अहक
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी-: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. मिश्रीलाल पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. मदनलाल पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. धर्मराज पुत्र श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. सुखबाई बेवा श्रीनारायण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रूण्डा लाल मीना निवासी महूंकला तह. गंगापुर सिटी
2. विक्रमसिंह पुत्र अमरसिंह मीना निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी
3. कमल पुत्र अमरसिंह मीन निवासी महुकला तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 93/2013

वादी की ओर से वादी मिश्रीलाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी अमरसिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर विवादित भूमि ख0न0 1783 रकबा 69 एयर, ग्राम टोकसी की नाप करवा कर भूमि का सीमाज्ञान करवा दे तथा पक्षकारो की भूमि की सीमाओ में एक दूसरे का कब्जा पाया जाता है तो पक्षकारान भूमि का कब्जा छोडेगे अगर कोई पक्ष कब्जा नही छोडता है तो दूसरे पक्ष का नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार गंगापुर सिटी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- टोडरा

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 10.6.2016.

पीठासीन अधिकारी महोदय,
टोडरा

मिश्रीलाल बनाम अमरसिंह

- 58/13 अन्तर्गत धारा 188 राज. टी. एम.

प्रकरण में वादी/वादी श्री मिश्रीलाल, भरतलाल कोली
के उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गयी है अब कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- [illegible handwritten terms, partially legible: कि विवादित भूमि ख.नं. 1783 ... गंगापुर सिटी ... दोनों पक्ष ... एक दूसरे पक्ष का ... राजीनामा ... कोई आपत्ति नहीं है]

मिश्रीलाल
भरतलाल
धर्मराज

प्रतिवादी पक्ष 1 [signature]
2. विक्रम सिंह मीना
3.
4.

हस्ताक्षर
नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(प्रतिवादी पक्ष) नाम
सरपंच ग्राम पंचायत ... पं.स. गंगापुर सिटी (स.मा.)

वादी मिश्रीलाल, भरतलाल, धर्मराज एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी अमरसिंह
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तसदीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी